



प्रेस नोट

दिनांक- 27.08.2022

थाना भोगनीपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा पुजारी की हत्या के अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया !

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के कुशल नेतृत्व में थाना भोगनीपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा पुजारी की हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये 01 नफर वांछित अभियुक्त को दिनांक 27.08.2022 को आला कत्ल (सरिया) के साथ गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 19.08.2022 को वादी श्री रामऔतार पुत्र गोरेलाल निवासी ग्राम वन्दीपुरवा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गई कि उसके 70 वर्षीय पुजारी मामा, जो कि ग्राम साहबापुर थाना भोगनीपुर कानपुर देहात में एक निर्माणाधीन मंदिर में निवास करते थे, की अज्ञात अभियुक्त द्वारा निर्माणाधीन मन्दिर में हत्या कर दी गई है। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 323/2022 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरे पुत्र स्व0 धर्म सिंह निवासी साहबापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 27.08.2022 को चोरी किये गये मोबाइल, पासबुक, एटीम कार्ड, आधार कार्ड, आला कत्ल(सरिया) व चोरी के रूप्यों के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 394/411 भा0द0वि0 को नियमानुसार बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि वह निर्माणाधीन मंदिर के पुजारी मृतक बृजेन्द्र मुनि पुत्र स्व0 बट्टीनाथ यादव का मोबाइल चुराने की नियत से मंदिर मे गया था मेरे द्वारा पुजारी का मोबाइल, एटीम, पासबुक आदि चोरी कर लिया गया था इसी दौरान पुजारी मृतक बृजेन्द्र मुनि जग गये और विरोध करने लगे जिसके कारण मेरे द्वारा पुजारी का गला दबाते हुये पास पडी हुयी लोहे की सरिया से वार कर हत्या कर दी गयी और चारपाई से पुजारी को बांध दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरे पुत्र स्व0 धर्म सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी साहबापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

1. 01 अदद लोहे की सरिया (हत्या में प्रयुक्त)
2. 02 अदद मोबाइल एन्ड्रायड
3. 02 अदद बैंक पासबुक
4. 01 अदद आधार कार्ड
5. 01 अदद वोटर आईडी कार्ड
6. 1160/- रूपये नगद

अभियुक्त अनिल वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 323/2022 धारा 302/394/411 भा0द0वि0 थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. निरी0 श्री सुरजीत पाल थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. उ0नि0 दयानंद झा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. उ0नि0 श्री राकेश बहादुर सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
5. उ0नि0 श्री परवेज अली थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
6. हे0का0प्रो0 देवेन्द्र सिंह राजावत थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
7. हे0का0 402 तेजबहादुर सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
8. चा0 का0 देवेश कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
9. उ0नि0 श्री प्रशांत गौतम प्रभारी स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
10. हे0का0 129 जयकुमार स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
11. हे0का0 484 सोनू यादव स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
12. हे0का0 299 अनूप कुमार स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
13. हे0का0 519 दुर्गेश कुमार स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
14. का0 894 मुकेश कुमार स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
15. का0 489 प्रशांत कुमार पाण्डेय स्वाट टीम जनपद कानपुर देहात।
16. हे0का0 129 ध्यानेन्द्र सिंह सर्विलांस सेल जनपद कानपुर देहात।
17. का0117 अजीत सिंह सर्विलांस सेल जनपद कानपुर देहात।
18. का0264 रिषभ सिंह सर्विलांस सेल जनपद कानपुर देहात।
19. का01059 मो0 अकरम सर्विलांस सेल जनपद कानपुर देहात।

मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।